

3853

1980

रसीद दस्तावेज बगैरह

53

उप जिला-2-क्षेत्र क्रमांक-05

मकाम

किस दस्तावेज की तफसिल, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत

तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा

रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत

1 2 3 4

जिम्मेदार मीनाक्षी

605220

30020

उपपंजीयक

तारीख 14 NOV 2013

INDIA NON JUDICIAL

MADHYA PRADESH!! ऊँ. !!

43AA 625322

विक्रय पत्र

संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य— रु. 16,05,000/- (रु. सोलह लाख पांच हजार मात्र)

!! मुद्रांक शुल्क !!

शासकीय मुद्रांक	80,250.00
जन पंचायत मुद्रांक	16,050.00
उपकर	4,012.00
अधिक मुद्रांक	58.00
कुल मुद्रांक	1,00,370.00

!! विक्रय मूल्य के भुगतान का विवरण !!

- रुपये 8,02,500/- (रुपये आठ लाख दो हजार पांच सौ मात्र) चेक क्रमांक 000014 दिनांक 14/11/2013 कोटक महेंद्रा बैंक शाखा जोन-1, एम.पी. नगर, जिला भोपाल म.प्र. विक्रेता क्रमांक-1 ने प्राप्त कर लिया है।
- रुपये 8,02,500/- (रुपये आठ लाख दो हजार पांच सौ मात्र) चेक क्रमांक 000010 दिनांक 14/11/2013 कोटक महेंद्रा बैंक शाखा जोन-1, एम. पी. नगर, जिला भोपाल म.प्र. विक्रेता क्रमांक-2 ने प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार उक्तानुसार विक्रेतागण क्रमांक 1 एवं 2 ने कुल विक्रय रूपये 16,05,000/- (रु. सोलह लाख पांच हजार मात्र) प्राप्त कर केता को इस विलेख के माध्यम से अभिस्वीकृति प्रदान करता है।

क्रमशः पेज नं. 02 पर

3083
10.
7/11/2013

$$\frac{3083 \times 3089}{10 \times 7} = 70$$

नाम विक्रेतागण - (1) श्रीमती रेखा गर्ग पत्नी श्री अनूप गर्ग, निवासी - म.नं. ई-6/27 अरेरा कॉलोनी भोपाल, म.प्र.

(2) श्री संदीप खरे पुत्र श्री जी.के. खरे, निवासी - एच एक्स-65, ई-7 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.

नाम क्रेता - काऊंसिल फॉर हेल्थ केयर एण्ड डायग्नोस्टिक साइंसेस गोपाल, द्वारा राधिव श्रीमती मीनाक्षी सोती पत्नी श्री सजीव सोती, निवासी - बी 302 सागर कॉम्प्लेक्स चूनाभट्टी कॉलार रोड भोपाल, म.प्र.

वास्ते विक्रय पत्र

श्रीमती मीनाक्षी पत्नी सजीव
जिला भोपाल के उप पंजीयक जवाहर चौक
कार्यालय में तारीख 14 NOV 2013
को म.प्र. में
बतलव किया गया।

श्रीमती मीनाक्षी तर्मा
उप विक्रेता
B.P. 301/159A, 1/1/100, भायलक-10
दूर : 0661144-5737

उप पंजीयक
भोपाल



Minalesh

मुद्राक शुल्क	80250-
नगर निगम शुल्क	—
पञ्चायत शुल्क	1650-
सप कर	4062-
अतिरिक्त शुल्क	58-
अधिक शुल्क	100370-

उप पंजीयक
भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 02

43AA 625323

नाम विक्रेतागण - (1) श्रीमती रेखा गर्ग पत्नी श्री अनूप गर्ग, आयु-वयस्क, निवासी:-म.नं. ई-6/27 अरेरा

कॉलोनी भोपाल, म.प्र. राष्ट्रीयता- भारतीय पैन, न. AHMPG5267A

(2) श्री संदीप खरे पुत्र श्री जी.के. खरे, आयु वयस्क, निवासी-एच एक्स-65, ई-7

एक्सटेशन अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र. राष्ट्रीयता-भारतीय पैन, नं. ABOPK2256M

नाम क्रेता

- काकसिल फॉर हेल्थ केयर एण्ड डायग्नोस्टिक साइंसेस भोपाल, पंजीयन क्रमांक 27265 दिनांक 26/03/1996 द्वारा सचिव श्रीमती मीनाक्षी सोती पत्नी श्री संजीव सोती आयु- वयस्क, निवासी -बी 302 सागर कैंपस चूनामट्टी कोलार रोड भोपाल, म.प्र. राष्ट्रीयता- भारतीय पैन नं. AAAAC 0412 D

!! विक्रेता द्वारा विक्रय की जा रही कृषि भूमि का पूर्ण विवरण !!

एक किता असिंचित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 71/क कुल रकबा- 2.630 हेक्टेयर में से 0.807 हेक्टेयर अर्थात् 1.50 एकड़ विक्रय की जा रही है। जो ग्राम समसपुरा पटवारी हल्का नं. 44 राजस्व निरीक्षक मंडल-04, विकास खण्ड- फन्दा, तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल, म.प्र. में स्थित है जो कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सीमा के बाहर मुख्य मार्ग से अंदर स्थित है उपरोक्त असिंचित कृषि भूमि विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में सदैव के लिये विक्रय कर रहा है, जिसकी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक भाग एम-834049एव एल 558084 जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं-

पूर्व में	-	खसरा नं. 110 की भूमि
पश्चिम में	-	रास्ता
उत्तर में	-	खसरा नं. 71/क की शेष भूमि
दक्षिण में	-	खसरा नं. 69 व 70 की भूमि

क्रमशः पेज नं. 03 पर

M. G. G. G.

R. G. G. G.

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 03.

43AA 625324

इस प्रकार विक्रेतागण द्वारा कुल रकबा 0.607 हेक्टेयर अर्थात् 1.50 एकड़ विक्रय की जा रही है। उक्त असिंचित कृषि भूमि, जिसे इस विक्रय पत्र के साथ सलग्न (अक्स) मानचित्र में लाल रंग के घेरे में पूर्ण विवरण के साथ दर्शाया गया है, उक्त नक्शा इस विक्रय पत्र का एक महत्वपूर्ण अंश होगा। भोपाल शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है।

!! अन्य विवरण !!

01. यह कि विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि / संपत्ति विक्रेतागण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति है, जिसे विक्रेतागण ने (1) श्रीमती अंशु पालीवाल पत्नी श्री नितिन पालीवाल जायु-वयस्क, निवासी अरेरा कॉलोनी शहर भोपाल, म.प्र., से विक्रय पत्र के माध्यम से कय किया था, जिलका इन्द्राज उपपंजीयक कार्यालय, भोपाल में दिनांक- 05/09/2007 को पुस्तक क्रमांक- अ-1, ग्रन्थ क्रमांक- 26840, के कुल पृष्ठ 07 (पृष्ठ क्रमांक 48 से लेकर 54 तक) पर दस्तावेज क्रमांक-244/5 पर 05/09/2007 अंकित है। जिसे विक्रय करने का विक्रेतागण को मध्यप्रदेश नू- राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत स्वामी के वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं एवं नू-राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है।
02. यह कि विक्रय की जा रही संपत्ति विक्रेतागण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति है, जिसे विक्रेतागण को मध्यप्रदेश नू- राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत स्वामी के वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
03. यह कि विक्रय की गयी भूमि विक्रेतागण ने कहीं भी हस्तांतरण, दान, बंधक, गिरवी, रहन, वसीयत आदि से गसित नहीं की है और न ही किसी व्यक्ति की जमानत आदि ही दी है। यह कि उक्त वर्णित विक्रय की जा रही भूमि पर विक्रेतागण ने किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी आदि से कोई कर्ज, भार,

क्रमशः पेज नं. 04 पर

Meevaly

*R. Brangh
Bella*

2085
10
7/11/13

3084 + 3085
10 10



अभिषेक
शोभा

R. Ghang



अभिषेक
शोभा

Handwritten signature

इस दस्तावेज के निष्पादक
~~अभिषेक शोभा~~ के अंगूठे का
निशान का आज दिनांक 14/11/13
ले लिया गया।

शोभा

Handwritten signature

विकेता

6/10/13 2013
6603 572377

Handwritten signature

इस दस्तावेज के निष्पादक

~~अभिषेक शोभा~~ के अंगूठे का
निशान का आज दिनांक 14 NOV 2013
ले लिया गया।

अभिषेक
शोभा

Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

04

43AA 625325

- आदि नहीं लिया है, और न ही किसी बैंक गारण्टी में बंधक या प्रसित किया है। अतः उक्त भूमि हर प्रकार से पूर्णतः भारमुक्त होकर सरकारी एवं गैर सरकारी मतालबात से पाक एवं साफ है।
04. यह कि उक्त वर्णित विक्रय की जा रही असिंचित भूमि के संबंध में कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय, शासकीय/अशासकीय कार्यालय, पंचायत, सोसायटी, आदि में विचाराधीन नहीं है अर्थात् उक्त वर्णित विक्रय की जा रही भूमि पूर्णतः पाक एवं साफ होकर पूर्णतः भार रहित भूमि है, एवं उक्त वर्णित विक्रय की जा रही भूमि को विक्रय किये जाने से न्यायालय द्वारा निषेधित नहीं किया गया है।
05. यह कि उपरोक्त वर्णित असिंचित कृषि भूमि को विक्रेतागण ने अपनी निजी एवं पारिवारिक आवश्यकता के कारण, अपने उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों/हम विक्रेतागण में हित रखने वाले आदि से सहमति लेकर कुल विक्रय मूल्य 'भुगतान के विवरण' के कॉलम में उल्लेखित अनुसार प्राप्त कर बदले में कंटा को सदैव के लिये विक्रय कर दिया यानि बेच दिया है। अतः अब विक्रय मूल्य में कोई भी राशि लेना शेष नहीं है।
06. यह कि उपरोक्त विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि पर आज से पहले शासकीय/अशासकीय कार्यालय, पंचायत, सोसायटी, बैंक आदि का ऋण भार या बकाया देना शेष निकलता है तो उसकी अदायगी की जबाबदारी स्वयं हम विक्रेतागण की ही रहेगी एवं हम विक्रेतागण उसके अदायगी लिये पाबंद एवं जिम्मेदार रहूंगा।
07. यह कि विक्रय प्रतिफल संपूर्ण राशि प्राप्त करने के फलस्वरूप हम विक्रेतागण ने उक्त विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि से संबंधित समस्त स्वत्व, स्वामित्व, अधिकार एवं सभी प्रकार के सुखाधिकार सहित संपत्ति मय कब्जा एवं मूल दस्तावेज सहित कंटा को सौंप दिया है। अब विक्रय संपत्ति या उसके

Meeandeshi

Rubang

क्रमशः पेज नं. 05 पर

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

05.

43AA 625326

किसी भी भाग पर हम विक्रेतागण या हमारे वारिसान, अंशी, संबंधी, रिश्तेदारों, या हम विक्रेतागण में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई हित, हक, हिस्सा, स्वत्व बकाया नहीं रहा है।

08. यह कि उपरोक्त वर्णित विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि पर उपरोक्त क्रेता को कब्जा व दखल मालिकाना हक दे दिया है और आज से उक्त क्रेता उपरोक्त विक्रय की जा रही भूमि के मालिक व स्वामी हो चुके है और उपरोक्त विक्रय की जा रही भूमि पर हम विक्रेतागण व हम विक्रेतागण के उत्तराधिकारी, भागीदार, हितधारी, वारिसान आदि का कोई स्वत्व, स्वामित्व, हक दखल, मालिकाना एवं अधिकार शेष नहीं रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म उक्त विक्रय की जा रही भूमि के संबंध में दावा, झगड़ा, या कोई न्यायालयीन कार्यवाही करता है तो वे इस लिखितम के तहत असत्य एवं अवैधानिक मानी जावें।
09. यह कि हम विक्रेतागण यह स्पष्ट उल्लेखित करते हैं कि उसने उपरोक्त विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि के हर प्रकार के या किसी भी ऋण, भार, दान आदि से रहित विक्रय की है एवं उक्त वर्णित असिंचित कृषि भूमि हम विक्रेतागण को शासकीय पट्टे के रूप में प्राप्त नहीं हुई है। यदि विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि या उसका कोई भाग भविष्य में आज दिनक से पूर्व के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की त्रुटि के कारण या किसी की दावेदारी के कारण क्रेता के हक या अधिकार से निकल जाता है तो ऐसी दशा में विक्रय मूल्य संपूर्ण राशि मय हर्जे- खर्चे एवं तत्समय प्रचलित बाजार भाव से ब्याज सहित राशि क्रेता उक्त हम विक्रेतागण अथवा उसकी चल या अचल संपत्ति से एकमुश्त प्राप्त करने का हकदार होंगे।

क्रमशः पेज नं. 06 पर

Mee...

*Rubang
Billan*

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

06.

43AA 625327

10. यह कि उक्त वर्णित असिंचित कृषि भूमि को विक्रय करने से न तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 कृषि भूमि अधिनियम, जोत सीमा विधान, भू-दान, यज्ञविधान एवं अन्य किसी अधिनियम की धारा का उल्लंघन नहीं होता है और न ही कोई प्रतिबंध ही है।
11. यह कि अब केता उपरोक्त विक्रय की गई असिंचित कृषि भूमि को सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय, पंचायत, सोसायटी, आदि संबंधित विभागों में अपने नाम पर नामांतरण/बटान करा लेवे इस पर हम विक्रेतागण की पूर्ण सहमति है एवं नामांतरण/बटान के लिये भविष्य में हम विक्रेतागण की आवश्यकता होने पर वह अपना सहयोग देने के लिये बिना किसी प्रतिफल के बाध्य एवं पाबंद है। यह कि यदि हम विक्रेतागण की आवश्यकता नामांतरण/बटान की होने पर यदि हम उपस्थित भी नहीं हो पाये तो भी उक्त केता के पक्ष में नामांतरण/बटान कर दिया जावे जिसको हम कभी चुनौती नहीं देंगे।
12. यह कि विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि विक्रेतागण को शासन से प्राप्त नहीं हुई है और न ही शासकीय पट्टे की भूमि है।
13. यह कि केता आज से उक्त विक्रय की गयी असिंचित कृषि भूमि से बहैसियत मालिक व स्वामी के हर प्रकार का लाभ उठावे, उसे रहन, विक्रय, हस्तांतरण, बंधकर, गिरवी, वसीयत आदि करे एवं हर प्रकार से लाभान्वित होंगे।
14. यह कि केता एवं विक्रेतागण ने भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22 (क) का उल्लंघन नहीं किया है।

M. Chandan

R. Gang
Bilal

क्रमशः पेज नं.07 पर

भारतीय गैर न्यायिक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 07.

43AA 625328

अस्तु यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने शुद्ध इन्द्रिय एवं स्वस्थ मन, मस्तिष्क की दशा में बगैर किसी डर, दबाव के सुन व समझकर, समक्ष गवाहान क्रेता के पक्ष में अपने - अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर दिया है, ताकि सनाद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आवे, इति दिनांक 14/11/2013

Sanjay

पक्षकारों के द्वारा दिये गये तथ्यों, कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया।
(संजय कुमार सेन, अधियक्ता)

गवाहान जिनके द्वारा पक्षकारों की पहचान की गयी है

साक्षीगण -

01. हस्ताक्षर
नाम-अनूप गर्ग
पुत्र-श्री टी. सी. गर्ग
पता- ई-6/27, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.
आई.डी. नं.



R. Gang
हस्ताक्षर विक्रेतागण

R. Gang

02.




हस्ताक्षर क्रेता Meenakshi

02. हस्ताक्षर
नाम-संजीव सोती
पुत्र- श्री बी. एम. सोती
पता- बी-302, सागर कैंपस, चूना भदटी,
कोनार रोड, भोपाल, म.प्र.
आई.डी. नं.

नोट- इस दस्तावेज में कोई काट-छांट नहीं है।

Meenakshi
R. Gang
Bilal

समस्त शासक शासक शासक शासक-७-५५
तह-इस जिल्हा-मंगल



सत्यप्रतिलिपि

प्रमाणित कर्मचारी
वास्तु मापन विभाग
महाराष्ट्र शासन

पु.स.
15-12-13
मोहनसिंहलाला
प.स. 46
महाराष्ट्र शासन, मुंबई

महाराष्ट्र



R. G. G. G.
Bilom



14 NOV 2013

आज दिनांक _____
द्वारा पुस्तक क्रमांक A1 पृष्ठ 531
10 में पृष्ठ 25-34 पर क्रमांक _____
देकर पंजीयत किया गया।

1980
उप पंजीयक
सोपाल

14 NOV 2013

मुद्रांक शुल्क 100390-
पंजीयन शुल्क _____
पुस्तकालय शुल्क 12990
मुद्रांकालय शुल्क 30
निगमन शुल्क _____
अन्य _____

13000-
उप पंजीयक
सोपाल



प्रमाणित किया जाता है कि इस
दिनांक के पुस्तक क्रमांक _____ में
कोई अंक नहीं है। कट छोट नहीं है।

उप पंजीयक
सोपाल